तत्काल

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

विषयः–**अति पिछड़े वर्गों हेतु नियुक्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा अति पिछड़े वर्गों के लिये राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतः उक्त प्रावधानानुसार अति पिछड़े वर्गों के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियुक्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार दिया जाना है।

अतः समस्त सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि अति पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों को निर्देश प्रदान कर, इसकी क्रियान्विति शीघ्र करवाने का श्रम करें।

समस्त विभाग/विभागाध्यक्ष इन निर्देशों की क्रियान्विति हेतु अपने विभाग के किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर कार्मिक विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अशा. टीप. सं. प. 7(1)कार्मिक/क–2/17
जयपुर, दिनांक : **08.03.2019**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जयपुर।

शासन उप सचिव

1/DOP Personal/UO note